इतिहास के स्रोतों से..

राजाओं, ज़मींदारों व मालिकों के बिना भी एक दुनिया!

सी. एन. सुब्रह्मण्यम्

एक कारखाने के गश्ती मज़दूर,1917 अक्टूबर

क्या एक ऐसा भी समाज हो सकता है जिसमें कोई अमीर न हो और कोई गरीब न हो? कोई मालिक, कोई ज़मींदार न हो? क्या कोई ऐसा देश हो सकता है जो कहे कि हम किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे या किसी भी प्रान्त पर हुक्म नहीं चलाएँगे? क्या ऐसा हो सकता है कि भूखे व गरीब कभी हिम्मत करके पूरे देश का शासन अपने हाथों में ले लें। क्या ऐसा भी कोई देश व सरकार हो सकती है जिसमें मेहनत करने वाले मज़दूर व किसानों के हितों का ध्यान सबसे पहले रखा जाए?

आज ये बातें परीकथा जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है कि कभी भी अमीरों, मालिकों, अफसरों, सेनापतियों आदि के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती है। लेकिन आज से 90 साल पहले रूस के मज़दूर, किसान व आम सैनिकों ने हिम्मत जुटाकर तय किया कि वे ऐसी ही एक दुनिया बसाएँगे, जिसमें हर कोई समान हो। सब बातों में मेहनतकश व शोषित लोगों को वरीयता मिलेगी। सब देशों के बीच शान्ति व मित्रता कायम होगी। यह कहानी बहुत लम्बी और बहुत ही रोचक है – उन्होंने यह कैसे कर दिखाया, किस तरह की दुनिया उन लोगों ने बसाई, उसका हुआ क्या....

लेकिन यहाँ पूरी कहानी तो नहीं बताई जा सकती है। सिर्फ उसकी शुरुआत की कुछ बातें तुम्हें बताते हैं...

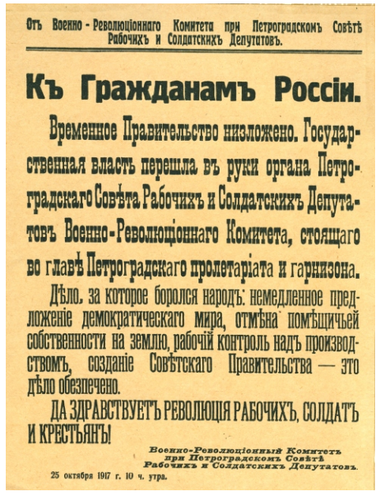

От Военно-Революціоннаго Комитета при Петроградскомъ Совѣтѣ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

Къ Гражданамъ Россіи.

Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла въ руки органа Петроградскаго Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ Военно-Революціоннаго Комитета, стоящаго во главѣ Петроградскаго пролетаріата и гарнизона.

Дѣло, за которое боролся народъ: немедленное предложеніе демократическаго мира, отмѣна помѣщичьей собственности на землю, рабочій контроль надъ производствомъ, созданіе Совѣтскаго Правительства — это дѣло обезпечено.

ДА ЗДРАВСТВУЕТЪ РЕВОЛЮЦІЯ РАБОЧИХЪ, СОЛДАТЪ И КРЕСТЬЯНЪ!

Военно-Революціонный Комитетъ при Петроградскомъ Совѣтѣ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

25 октября 1917 г. 10 ч. утра.

सोवियत शासन का पहला ऐलान

मज़दूरों, सैनिकों व किसानों!

रूस के मज़दूरों व सैनिकों की पंचायतों (सोवियतों) के प्रतिनिधियों ने मिलकर शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली है।इसमें अधिकांश मज़दूर, सैनिक व किसानों के समर्थन के साथ-साथ पेट्रोग्राद के मज़दूरों व सेना के सफल विद्रोह की बड़ी भूमिका रही।

सोवियत सरकार जल्द ही सभी देशों के सामने लोकतांत्रिक शान्ति का प्रस्ताव पेश करेगी। तथा युद्ध विराम की घोषणा करेगी। सरकार सुनिश्चित करेगी कि सभी ज़मींदारों, बादशाह तथा मठों की ज़मीन किसानों की समितियों के हवाले हो जाए। ज़मीन के बदले किसी प्रकार का मुआवज़ा मालिकों को नहीं मिलेगा। आम सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए सेना में पूरी तरह लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा। कारखानों के उत्पादन पर मज़दूरों का नियंत्रण होगा। ... शहरों को भोज्य पदार्थ तथा गाँवों को ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँगी, रूस के अन्तर्गत रहनेवाले सभी राष्ट्रों को वास्तविक स्वतंत्रता व स्वायत्तता दी जाएगी।

स्थानीय स्तर पर सारी सत्ता वहाँ के मज़दूरों, सैनिकों व किसानों की सोवियतों के हाथ रहेगी।

इंकलाब ज़िंदाबाद!

रूस के मज़दूरों व सैनिकों के पंचायतों (सोवियतों) के प्रतिनिधियों का सम्मेलन

इस ऐलान (7 नवम्बर 1917) ने एक नए युग की शुरुआत की। उन दिनों पूरे रूसी साम्राज्य पर त्सार बादशाह का शासन था। वह किसी भी तरह की लोकतंत्र की स्थापना के खिलाफ था। अधिकांश ज़मीन बादशाह, बड़े जमींदारों या मठों के पास थी। वे यह ज़मीन किसानों को ऊँचे लगान (किराए) पर खेती करने के लिए देते थे। लगान के बोझ से किसान बुरी तरह दबते जा रहे थे। शहरों में बड़े-बड़े कारखानों में हज़ारों मज़दूर बहुत ही कम वेतन पर बुरे हालातों में काम कर रहे थे। ऊपर से 1914 से छिड़ा विश्व युद्ध चरम पर था। सभी देशों के आम लोग युद्ध की तबाही से थके हुए थे। सभी देशों के लोग अपने-अपने देश के हुक्मरानों को बदलकर नया शासन स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। ऐसे ही मौके पर रूस में क्रान्ति का ज्वालामुखी फूट पड़ा। त्सार को हटाया गया। नई सरकार बनी। पर यह सरकार न तो त्सार को पूरी तरह हटा पाई, न किसानों को ज़मीन दिला पाई। और न शान्ति स्थापित कर पाई। इससे त्रस्त होकर रूस के मज़दूर, सैनिक व किसानों ने बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में सत्ता अपने हाथ में ले ली।

इसके तुरन्त बाद क्रान्तिकारी सरकार ने तीन महत्पूर्ण

क्रान्ति की रक्षा के लिए बनी लाल फौज में भर्ती होने आए मज़दूर

ऐलान किए – शान्ति सम्बन्धी ऐलान, भूमि सम्बन्धी ऐलान और उत्पादन पर मज़दूरों के नियंत्रण का ऐलान।

शान्ति ऐलान

मज़दूरों व किसानों की सरकार ... सभी युद्धरत देशों के लोगों व सरकारों से अपील करती है कि वे युद्ध रोकें। और तुरन्त न्यायसंगत व लोकतांत्रिक शान्ति स्थापना के लिए बातचीत शुरू करें।

न्यायसंगत या लोकतांत्रिक शान्ति से हमारा मतलब उस शान्ति से है जिसके लिए युद्धरत देशों के मज़दूर व मेहनतकश तड़प रहे हैं। इसमें तत्काल युद्धविराम बगैर किसी प्रकार के कब्ज़े (भूमि पर कब्ज़ा) के और बगैर किसी प्रकार के युद्धदण्ड के हो।

कोई देश चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर किसी अन्य राज्य में बल द्वारा मिला लिया गया हो तो उसे उस देश में मिले रहने या स्वतंत्र होने की पूरी आज़ादी हो।

जब मेहनतकश लोग शासन को अपने हाथ में लेते हैं तो उनकी पहली ख्वाहिश होती है कि सब देशों के बीच शान्ति हो। किसी भी राष्ट्र को, चाहे वह कितने भी छोटा क्यों न हो, किसी दूसरे के अधीन न रहना पड़े। तथा उसे अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार हो। युद्ध में सबसे ज़्यादा मरने वाले, सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले गरीब मेहनतकश ही होते हैं, इसीलिए वे शान्ति की तीव्र इच्छा रखते हैं।

ज़मीन सम्बन्धी ऐलान

1. ***सभी प्रकार की ज़मीनों पर निजी मालिकाना हक बिना किसी मुआवज़े के खत्म किया जा रहा है।***
2. ***बादशाह, ज़मींदार, मठ आदि की बड़ी भूसम्पत्ति को व उनके जानवर व मशीनों आदि को गाँव के स्तर पर किसानों की समितियों को सौंपा जाएगा।***
3. ***ज़मीन की निजी मिल्कियत हमेशा के लिए खत्म की जाती है – ज़मीन न खरीदी जा सकेगी, न बेची जा सकेगी।***
4. ***ज़मीन के उपयोग का अधिकार हर उस नागरिक (चाहे वह महिला हो या पुरुष) के पास रहेगा जो अपने या अपने परिवार के श्रम से खेती करने का इच्छुक होगा।***
5. ***जो किसान उम्र या बीमारी के कारण खेती करने में असमर्थ होंगे उनसे उनकी ज़मीन वापस ले ली जाएगी और उन्हें शासन से पेंशन प्राप्त होगी।***
6. ***गाँव में जो ज़मीन उपलब्ध होगी वह सबके बीच समान रूप से उपयोग के लिए दी जाएगी।***

ये माँगें किसानों की ही थीं। समानता के सिद्धान्त के आधार पर ज़मीन का उपयोग सुनिश्चित किया गया। इसको अमल में लाने का ज़िम्मा स्थानीय किसानों के समूहों को दिया गया। यानी शासन चलाने का ज़िम्मा, नीतियों का पालन आदि किसी अफसर या कलेक्टर को नहीं बल्कि जनता द्वारा तय लोगों को ही करना था।

उत्पादन पर मज़दूरों के नियंत्रण सम्बन्धी ऐलान

1. ***सभी कारखानों, बैंकों व दुकानों के उत्पादन, भण्डारण, खरीदने-बेचने आदि पर उसमें कार्यरत मज़दूरों का नियंत्रण होगा।***
2. ***सभी ऐसी संस्थानों में कार्यरत मज़दूर व अन्य कर्मचारी इस नियंत्रण के लिए खुली सभा में समिति के सदस्य चुनेंगे और इसकी सूचना स्थानीय सोवियतों को देंगे।***
3. ***चुनी गई समितियों के निर्णय को मानने के लिए सभी मालिक बाध्य होंगे।***